अध्याय-4

वर्ण व्यवस्था तथा उसका पिछड़े वर्गों पर प्रभाव

यह अध्याय इस उद्देश्य से लिखा गया है कि :-

धार्मिक व्यक्ति

राजनैतिक नेता व

समाज सुधारक

चाहे वे उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के, चाहे हरिजन, आदिवासी हों, या पिछड़े वर्ग के, चाहे जिस दल या मत के हों, इससे एक प्रेरणा मिले, जिससे एक रास्ता निकले सदियों से शोषित लोगों के उत्थान व कल्याण का। पिछड़े वर्ग में व्याप्त मिथ्या भ्रम मिटे तथा वे भी देश के जागरुक नागरिक बन सकें। उन्हें भी मिले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय जो हमारे संविधान निर्माताओं का महान संकल्प था।

समाप्त हो अन्याय, पक्षपात तथा अधिकार हरण का वातावरण, शासन- प्रशासन में उपेक्षित पिछड़े वर्गों की भी न्यायोचित भागीदारी हो ताकि उनमें व्याप्त निराशा के स्थान पर एक आत्म विश्वास जाग सके। वे भी देश के समझदार व जागरुक नागरिक बनकर राष्ट्र की एक मजबूत कड़ी बन सकें।

न्यायपूर्ण व्यवस्था से ही असमानता समाप्त होगी। जब असमानता के स्थान पर समानता की स्थापना होगी तो देश में बंधुत्व की भावनाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि भाईचारा (बन्धुत्व) असमानों में नहीं समान के लोगों में पनपता है। अतः समानता से बन्धुत्व (भाईचारा) बढ़ेगा और ऐसे भाईचारे का भाव ही एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र की वास्तविक नींव को सुदृढ़ कर सकेगा। अन्ततः एक मजबूत तथा सुदृढ़ राष्ट्र ही हमारा वास्तविक उद्देश्य है।

इस अध्याय का उद्देश्य किसी जाति विशेष या धर्म पर आक्षेप करना नहीं है तथा कल के लिये हम आज को दोषी भी नहीं मानते हैं। हमारा तो उद्देश्य पिछड़े वर्गों की स्थिति के लिये उन ऐतिहासिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं का सिंहावलोकन करना है, जिसने पिछड़ेपन व विपन्नता को जन्म दिया।

हिन्दू वर्ण व्यवस्था

जातियाँ हिन्दू समाज रूपी भवन की इमारती ईटें हैं। बिना जाति व वर्ण व्यवस्था के हिन्दू समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था तथा जति प्रथा में अनेक प्रकार के गुण-दोष विद्वानों के गहन अध्ययन में विश्लेषित किए गए हैं। यह बात निर्विवाद रूप से सही है कि वर्ण तथा जाति व्यवस्था का निर्माण एक अत्यंत कुटिलतापूर्ण कार्य था जिसके द्वारा बहुसंख्यक मेहनतकश वर्ग को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर रखा गया। उनमें ऊँच-नीच की भावना भर श्रेणीबद्ध समाज की रचना की गई। वर्ण व्यवस्था को भगवान द्वारा निर्मित बताकर उसे धर्म से जोड़ दिया गया व उसे स्थायी रूप से दृढ़ किया गया जिसके कारण निहित स्वार्थवालों के शोषण की जड़े गहरी हो गई तथा वे मान-मर्यादा के शीर्ष पर बैठे पीढ़ी-दर-पीढ़ी नीचे श्रेणी के लोगों का सदियों तक निर्ममतापूर्वक शोषण करते रहे।

(अ) शूद्र कौन :-

यह व्यवस्था ही अगड़े पिछड़े, ऊंच तथा निम्न वर्ग की जननी रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य "द्विज" (द्विजन्मा) को एक अलग (उच्च) श्रेणी में रखा गया और शूद्रों की एक अलग निम्न तथा संस्कारहीन श्रेणी बना दी गई। चूंकि "शूद्र" वर्ण ही श्रमिक था, कला-कौशल, काश्तकारी एवं उत्पादन के अन्य कार्य करने वाला तबका शारीरिक श्रम पर आधारित था। शूद्र तथा अछूत शुद्र दो भागों में बांट दिया गया। जिसके लोटे से "द्विज" पानी पी सकते थे वे सछूत शूद्र कहलाये। जिसके लोटे से "द्विज" पानी नहीं पी सकते थे वे अछूत शुद्र कहलाये। यही नहीं इस व्यवस्था को ईश्वरीय विधान बतलाया गया ताकि कोई इस विषय पर तर्क-वितर्क न कर सके। इसको ईश्वरीय व्यवस्था मानते हुए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आचरण करता रहे। वेद जिसको भगवान की वाणी कहा गया है उसमें एक श्लोक द्रष्टव्य है :-

ब्राह्मणों वैश्य मुखमासीत वाहू राजन्य कृतः।
उक्र तदस्थ यद्धेश्यः पदम्यां शूद्रोजायत।
ऋग्वेद मं.-12 (पुरुष सूत्र) मंडल 1 सूत्र 90

अर्थात ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा उसके पैरों से शूद्र जन्मा है। गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने कहा :-

"चतुवर्णम मयाकृत्या गुण कर्म स्वभाव च" अर्थात चतुवर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म स्वभावानुसार पैदा किया गया है। अतः भारत वर्ष में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बनाई गई बताई

गई है तथा इस प्रकार आरंभ से ही धर्म का अंग रही है। अतः वेद व धार्मिक ग्रन्थों के जन्मना वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय कहकर किसी प्रकार से समाज परिवर्तन पर रोक लगा दी तथा सदा के लिये एक जाति को लाभ व दूसरी जाति के साथ अन्याय को स्थापित करके श्रम पर आधारित बहुसंख्यक निम्न जातियों का बहुत अनर्थ किया है।

शूद्रों के संबंध में पांतजलि ने अपने अष्टध्यायी भाष्य में भी निम्न प्रकार वर्णन किया गया है :-

"शूद्रों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात दो प्रकार के शूद्र होते हैं, एक अबहिष्कृत और दूसरा बहिष्कृत। अर्थात सछूत शूद्र तथा दूसरा अछूत शूद्र। सछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन छू सकता है तथा अछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन नहीं छू सकता।"

(पातंजलि अष्टध्यायी भाष्य अध्याय 2 ब्लाक 4 का)

पिछड़ा वर्ग शूद्र वर्ण का ही अंग है। अनुसूचित जातियों को अछूत वर्ग में शामिल किया गया है जिनको छूना मना था, जिनको नीच, कमीन तथा अस्पृश्य आदि के नाम से जाना जाता रहा। लेकिन आयोग को तो केवल उनका ही अध्ययन करना है जिनका प्रभाव पिछड़े वर्ग से संबंधित है। जिन्हें सछूत शूद्र माना गया है, भले ही वे स्वयं को क्षत्रिय वर्ण में मानते रहे हों। इस विषय में स्मृतियों तथा पुराणों में काफी प्रमाण मिलते हैं यथा :-

वाद्धिका, नापितो, गोपः अशापा, कुम्भकारकः
वणिक, किरात, कायस्थ, मालाकार, कुटुम्बिनः।

वरटो मेद चाण्डालस्य, दास, श्वपंच कोलकः
ऐते अन्त्यज, समारव्यातः ये धन्ये च ग्वासनः।।

अर्थात :- बढ़ई, नाई, अहीर, चमार, कुम्हार, बंजारा, किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी, बांसफोड़, स्थावर, चाण्डाल, बारी श्वपंच कोरी तथा बराबरी वाले सभी अन्त्यज शूद्र हैं।

(व्यास स्मृति 1-10-12)

इसी प्रकार :-

"लोधश्च, गड़श्च, कश्यपश्च काछी।
"अधमा व शूद्र : ये आदिनिवासी"

अर्थात :- लोधी, गड़रिया, कहार तथा काछी ये अधम (नीच) शूद्र आदि निवासी हैं।

(ब्राह्मण गुप्त संहिता)

इस प्रकार अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र वर्ग में परिभाषित करके उनके लिए कर्तव्य संस्कार, निषेध व निर्योग्यतायें और दंड व्यवस्था लागू करने हेतु नियम (विधान) प्रतिपादित किये जो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सदियों से प्रभावित करते रहे हैं एवं इस व्यवस्था से उनके दैनिक जीवन, क्रिया-कलापों अर्थात उठने-बैठने, पढ़ने-लिखने, खाने-पीने, रहन- सहन इत्यादि से लेकर विवाह संस्कार, आचार-व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते रहे हैं।

"ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तीन वर्ण द्विजाति (जनेऊ वाले) हैं इनसे जो नीचे हैं, शूद्र हैं उनके लिए श्रुति स्मृति, व पुराण वाला धर्म नहीं है।"

(व्यास स्मृति- 1-10)

इसी प्रकार का कथन "मनुस्मृति" में किया गया है

"ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विजाती (द्विजन्मा) और चौथा वर्ण शूद्र है। पांचवा वर्ण कोई नहीं है।" इन वर्णों की क्रमशः श्रेष्ठता के बारे में भी कहा गया है- "ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चार वर्ण हैं इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने के वाद के वर्ण से श्रेष्ठ हैं। शूद्र को छोड़कर सब वर्णों के लिए उपनयन (जनेऊ वेद) पाठ तथा यज्ञ विहित हैं"।

आपस्तम्व धर्मसूत्र (प्र.1 प्र. 1 खा सूत्र 4-5)

यह क्रमशः आदर एवं अनादर की श्रृंखला सर्वदा के लिये अटूट और निरन्तर कर दी गयी। वर्ण व्यवस्था व ऊंच-नीच की भावना सदा के लिए सुदृढ़ कर दी गई। अछूत वर्ग का अधिकतर हिस्सा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में परिभाषित हो गया है और जिसके बारे में उल्लेख करना आयोग की परिधि में नहीं है। फिर भी बहुत कुछ संदर्भ इसी लिए देना पड़ता है ताकि जो दुर्गति हमारे इस अछूत समाज की धर्म शास्त्रकारों ने की, जिससे आज हमारे ही नहीं सारी मानवता का सर शर्म से झुक जाता है उन्हें चांडाल, श्वपच आदि कहा गया है। आपस्तम्ब में कहा गया है –

"जिस प्रकार चांडाल को छूना पाप है, उसी प्रकार इससे बोलना और उसे देखने से पाप होता है इसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है।"

आपस्तम्ब (2-1/2/8)

"मनुस्मृति के अनुसार उन्हें गांव या बस्ती के अन्दर नहीं रहना चाहिए। वर्णशंकर जातियों का गाँव के पास प्रसिद्ध वृक्ष, श्मशान, पहाड़ और उपवनों में अपने अपने कर्म करते हुए निवास करना चाहिए।"

(मनुस्मृति 10-50)

ये केवल चंद उदाहरण दिये जा रहे हैं ताकि अछूत शूद्र व सछूत शूद्र का भेद मालूम हो सके। हालांकि बहुत सी पिछड़े वर्ग की जातियों का सामाजिक स्तर अछूत वर्ग में आने वाली जातियों के समान है जिन्हें कमोवेश अछूत माना गया है जैसे धोबी, नाई, आदि तथा वे हरिजन व आदिवासी बनने की मांग करते आ रहे हैं। वहीं पिछड़े वर्ग में आने वाली बहुत सी जातियाँ अपने को क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य वर्ण में शामिल होने की जी तोड़ कोशिश करती रही हैं क्योंकि कुछ संपन्नता शिक्षा तथा ज़ागृति से इनमें महिमामय सम्मान पाने की लालसा जाग उठी है। बीसवीं सदी के द्वितिय दशक से पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जातियों ने उत्थान का प्रयास किया। छापाखाने, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के कारण तथा नये वातावरण से उनमें भी जागृति आई। अतः उन्होंने भी अपनी जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इस उत्थान तथा पुनर्जागरण के काल में पिछड़े वर्ग की जातियों में क्षत्रिय बनने, ब्राह्मण बनने या वैश्य बनने की होड़ लग गई। लेकिन दक्षिण भारत जागरण के काल में हर समाज ने अपने अधिकारों के लिए तथा वहां के नेताओं विशेषकर पैरियार रामास्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आन्दोलन चलाया। अतः दक्षिण भारत में पिछड़े वर्ग की जनता ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने के स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आत्म सम्मान हेतु संघर्ष किया। वहीं उत्तरी भारत खासकर हिन्दी भाषी प्रान्तों की पिछड़े वर्ग की जनता ने नयी जागृति की नयी लहर में अपने को उच्च वर्ग में शामिल होने का प्रयास किया।

पुनः मुक्काकाने बनाम अम्मा कटी में मुकदमों से मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि मदुरै के यादव क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र। यादव लोग अपने को क्षत्रिय बतलाते थे। परन्तु अदालत नें अपने फैसले में उनको शूद्र घोषित किया।

(1927 आई.एल.आर. 52 मद्रास पेज 1)

(ब) शूद्रों के कर्म (कर्तव्य)

पुरानी आचार संहिताओं तथा धर्म-ग्रन्थों में इन पिछड़े वर्गों (शूद्रवर्ग) के लोगों के लिए उनके वर्णों व जाति के अनुसार कर्म निश्चय किए गये। राजधर्म की सामंती व्यवस्था के माध्यम से उन भेदभाव पूर्ण व्यवस्था को बलात लागू कराया तथा कर्तव्यच्युत होने पर दंड की व्यवस्था की गई।

इसके पीछे कोई मानवीय कर्म व सदाचार कर्म की स्थापना की भावना नहीं बल्कि शोषण की एक पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी व्यवस्था करना था। मनुस्मृति जो हिन्दू समाज के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट था उसमें निम्न व्यवस्था की गई है–

"शूद्र के लिए ईश्वर ने एक ही कर्म नियत किया है कि वह तन मन धन से तीनो वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, व वैश्य) की सेवा करे।"

"मनुस्मृति 1-91"

इसी प्रकार का कथन निम्न धर्म- ग्रन्थों में किया गया है :-

1- "शूद्र अपने धर्म अनुसार तीनों वर्णों (ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य) की सेवा करता हुआ ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। दूसरे का धर्म पराई स्त्री के समान त्याज्य है।"

"आर्य स्मृति"

2- "द्विजों की सेवा करना शूद्रों का परम धर्म है इसके अलावा शूद्र यदि धर्म संबंधी कार्य करता है वह उसका निषफल है।"

"पाराशर स्मृति 1-70"

3- "प्रजापति ने शूद्र को तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की सेवा करने वाला दास बनाया है।"

"महाभारत, शांति पर्व 60-28"

"शूद्र से तो सेवा ही कराये चाहे वह खरीद कर आया हो चाहे बिना खरीदा हुआ। क्योंकि बह्मा ने शूद्र को ब्राह्मणों की दासता करने के लिए ही उत्पन्न किया है। यदि स्वामी छुड़ा भी दे तो भी शूद्र दासता से छुटकारा नहीं पा सकता क्योंकि दासता उसका स्वाभाविक कर्म है। शूद्र को जूठा अन्न, पुराने कपड़ें, अन्न की पसोड़न, और पुराना बर्तन भाड़ा देना चाहिए।"

"मनुस्मृति 10 श्लोक 125"

मनुस्मृति में आगे निम्न प्रकार भी कहा गया है :-

"ब्राह्मण का तप ज्ञान, क्षत्रिय का तप रक्षा, वैश्य का तप वार्ता, तथा शूद्र का तप सेवा है। इस प्रकार आचार संहिताओं, पुराणों स्मृतियों में पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियां श्रमिक, दस्तकार व कृषि करने वाली तथा पशु पालक थी। उनके कार्य, व्यवहार निश्चित कर दिये थे उसी के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपनी जाति के अनुसार निश्चित काम करते रहे तथा तीनों वर्णों की सेवा करते रहे।"

(स) जाति के हिसाब से नाम संस्कार

वर्ण व जाति के हिसाब से नाम करण संस्कार की भी व्यवस्था की गई है अर्थात जब बच्चे का जन्म हो तब उसका नाम भी उसकी जाति के अनुसार रखा जावे कहा गया है–

मंगल्य ब्राह्मणस्य स्यातक्षत्रियस्य बलान्वितम।
वैश्यस्य, धन संयुक्ते, शूद्रस्य तु जुगुपिततम"

"ब्राह्मण का नाम मंगलमय, क्षत्रिय का नाम शक्तिमय, वैश्य का नाम धनमय और शूद्र का नाम निन्दामय होना चाहिए।"

"मनुस्मृति 2-31"

इसी को विष्णु स्मृति में निम्न प्रकार कहा गया है:-

"ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का नाम बलशाली, वैश्य का नाम धनशाली तथा शूद्र का नाम घृणामय हो।"

"विष्णु स्मृति 27-69"

जब बचपन से ही दासता तथा घृणा सूचक नामों से पुकारा जायेगा तो इसके मन में दास प्रवृत्ति और हीनता ग्रन्थि जम कर क्यों नहीं बैठ जायेगी। इस प्रकार पूरी की पूरी जाति गुलामी एवं हीन मनोवृत्ति की शिकार होकर जीवन भर सिर न उठा सके और चेतना पंगु हो जावे। इन्हीं धर्म ग्रन्थों का प्रभाव रहा कि शूद्र कही जाने वाली जातियों के नाम भद्दे व दीनता दायक रखे जाते रहे। यद्यपि पुनर्जागरण शिक्षा आदि के प्रभाव से अब छोटी जाति के लोग अपने बच्चों का नामकरण स्वयं करने लगे हैं, अन्यथा आजादी के बाद भी या कहीं-कहीं ग्रामीण अंचलों में अभी भी ब्राह्मणों द्वारा शूद्र वर्ग के लोगों का नामकरण संस्कार होता है, जो उसकी जाति व वर्ण के हिसाब से बताये जाते हैं। इसलिए प्रायः छोटी जाति वालों के नाम देखने पर मालूम होता है कि वे दीनता दायक तथा घृणा दायक भद्दे रुप मे रखे गये हैं। जबकि द्विज वर्ग के नाम मंगलसूचक, बलसूचक तथा धनसूचक मिलेंगे।

(द) शूद्रों को निषेध या निर्योग्यतायें :-

शारीरिक श्रम पर जीविका अर्जित करने वाली अधिकांश पिछड़े वर्ग की जनता को अपने इच्छानुसार विद्या-अध्ययन की देश या समाज रक्षार्थ शस्त्र धारण करने की तथा सम्मानजनक व्यवसाय कर अपनी आजीविका अर्जन की छूट नहीं थी। यह व्यवस्था इस कारण की गई ताकि

पिछड़े वर्ग में आत्म विश्वास व आत्म सम्मान जागृत न हो जावे तथा द्विज वर्गों के प्रतियोगी न बन जावें। उसके कर्म जिस जाति या वर्ण में उसका जन्म हुआ पुराणों, एवं स्मृतियों एवं अन्य धर्म ग्रन्थों के माध्यम से पूर्व निश्चित थे। जिन्हें वह अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता था। जो निर्योग्यता लादी गई है, उन्हें स्पष्ट करने के लिए निम्न उदाहरण प्रासंगिक होंगे :-

"शूद्र को बुद्धि नहीं देना चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट, न हवन का बचा हुआ भाग और न उसे धर्म का उपदेश दें तथा उसे व्रत का भी उपदेश न दें।"

(मनुस्मृति, अध्याय-4 श्लोक 80)

"यदि कोई शूद्र को धर्म का उपदेश व व्रत का उपदेश देता है तो वह भी शूद्र के साथ अंधकार युक्त (अशम्ब्रत) नामक भंयकर नर्क में पड़ता है।"

(मनुस्मृति, अध्याय- 4 श्लोक 81)

"द्विजों की सेवा में रहते हुए शूद्र यदि निषिद्ध कर्म करते हैं तो वे अल्पायु और नरकगामी होते हैं।"

(पाराशर, स्मृति 2/19)

"शूद्र को गाय का दूध पीने व वेद पढ़ने से नर्क होता है। इसलिए शूद्र इनसे अलग रहे।"

(पाराशर, स्मृति 1-73)

इसी प्रकार निम्न कथन हैं :-

"स्त्री व शूद्र को विद्या नहीं पढ़ना चाहिए"

(स्मृति वचन)

"यदि शूद्र जप-होम आदि शुभ कार्यों में लगा हो तो वह राजा से कठोर दण्ड पाने के योग्य है। क्योंकि होम में तत्पर होने के कारण वह राजा के देश का नाश करने वाला है जैसे अग्नि का नाशक जल है।

(आर्य स्मृति 19)

"शूद्र श्मशान के समान अपवित्र है। इससे शूद्र के समीप वेद नहीं पढ़ें।"

(वशिष्ठ- 18-9)

कोल्हापुर के क्षत्रपति साहू महाराज का पुरोहित रघुनाथ शास्त्री पूजा आदि सब संस्कार पौराणिक रीति से करता था। साहू महाराज ने वैदिक रीति से पूजा आदि संस्कार करने का आदेश दिया परन्तु पुरोहितों ने वैदिक रीति से पूजा आदि संस्कार करने से इंकार कर दिया। क्योंकि साहू महाराज शूद्र कुन्वी जाति के थे। इसके बाद साहू महाराज ने कुम्हार जाति के लड़के को काशी भेजकर पंडिताई की शिक्षा दिलाई तथा उसे अपना राज- पुरोहित बनाया तथा आज भी उनका कुम्हार, जाति का पुरोहित है।

"शूद्र के लिए अग्निहोम तथा वैदिक यज्ञ का अधिकार नहीं है।"

(जेमिन 6-1-224, 38)

शूद्र चाहे विद्वान, सदगुणी हो तथा धार्मिक कर्म करने में पूर्ण दक्ष हो फिर भी उसको इन कर्मों के योग्य नहीं समझा गया। ब्राह्मण चाहे मूर्ख या दुराचारी हो तो भी वह धार्मिक कर्मों का अधिकारी समझा गया- इसे भाषाधम्य समाज में किस प्रकार कहा गया है–

"काशी में पढ़कर भी वेद व पुराणों को बाचें और रूपवान, सदाचारी एवं विद्वान भी हो परन्तु हे राजन, युधिष्ठिर वह यज्ञ के योग्य नहीं है। ब्राह्मण चाहे दुराचारी एवं पतित हो तो भी वह यज्ञ कराने में सफल हो जावेगा।"

(भाषाधम्य समाज)

शूद्र को अच्छे कर्मों से तो निषेध किया हीं गया है, उसे अच्छा खाने-पीने आदि को भी मना किया गया है :–

"घी, दूध, पान और श्रेष्ठ अन्न शूद्रों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है।"

ब्राह्मण ग्रन्थ (तितसीय 1-2)

शूद्र को अच्छे खान-पान से ही नहीं उसको अच्छे रहन-सहन से भी निषेध किया गया है ताकि श्रेष्ठ जन पक्के भवनों में रह सकें और वह घास-फूस व खपरैल की बनी जगहों में अपना जीवन यापन करे। कहा गया है–

"शूद्र को घर में नहीं रहना चाहिए, शूद्ध जल नहीं पीना चाहिए और न ऊँचे आसन पर बैठना

चाहिए क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है।"

(ब्राह्मण ग्रन्थ, तेतसीय 1-6)

संविधान लागू होने पर कानून के सामने सभी समान हैं लेकिन हिन्दू जाति व्यवस्था के पोषक धार्मिक ग्रन्थों में निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है :-

"जिस राज्य में न्याय करने वाला शूद्र हो, उस राजा का राज्य कीचड़ में फंसी गाय के समान क्लेश प्राप्त करता है।"

(मनुस्मृति, अध्याय-2 श्लोक 36)

इस प्रकार की सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं में बहुजन समाज कैसे विद्या अध्ययन कर सकता था। कैसे मानवीय गुणों का विकास कर सकता था। कैसे अपनी बुद्धि का विकास कर राष्ट्र रक्षा व राष्ट्रीय कर्तव्य को समझ सकता था, कैसे सम्मानजनक स्थान पा सकता था, कैसे अपनी हालत सुधारने के लिए अच्छा कारोबार कर धनवान बन सकता था। जब धार्मिक व्यवस्था इतनी कठोर थी। इस व्यवस्था के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप ऋषि शम्बूक का वध कराया जाता है जबकि शम्बूक तपस्या करते थे। उनके आत्म कल्याण के इस काम से किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। लेकिन छोटी जाति का व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करे, सम्मान पाये, जप-तप करे तो उसका यह कार्य नियमों एवं व्यवस्थाओं के विपरीत माना गया। अतः मर्यादा पुरूषोत्तम राजा रामचंद्र के द्वारा ऋषि शम्बूक का वध करवा कर सामाजिक व्यवस्था भंग करने का दंड दिया जाता है। आचार्य द्रोणाचार्य के पास भील बालक एकलव्य शिक्षा ग्रहण करने जाता है। लेकिन भीलपुत्र होने के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया जाता है। एकलव्य अपनी साधना से धनु-विद्या में पारंगत हो जाता है। छोटी जाति के निषिद्ध एकलव्य में उच्च विद्या न रह पावे, अपने उद्देश्य में वह निष्फल हो जावे, इस हेतु गुरू दक्षिणा के नाम पर दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया जाता है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। जब ज्ञानी-ध्यानी व योग्य व्यक्तियों को छोटी जाति के कारण विद्या पढ़ने की मनाही की गई थी। यदि किसी प्रकार उन्होंने विद्या प्राप्त भी कर ली, तो उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया।

सदियों से इन निर्योग्यताओं और निषेधों के बीच गुजरने के परिणामस्वरूप पिछड़े वर्ग की अधिकांश जातियों में घोर अशिक्षा व अज्ञानता विद्यमान रही है। श्रमजीवी होने के कारण अपनी जाति द्वारा निर्धारित पेशे के कारण भी शिक्षा का अभाव रहा है। पिछड़े वर्ग में अशिक्षा का साम्राज्य बने रहने के पीछे धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवस्थाएं अधिक कारण रही हैं।

(द) भेदभाव पूर्ण दण्ड-संहिता :-

स्मृतियां तथा पुराण भारतीय हिन्दू समाज व्यवस्था के कोड ऑफ कन्डक्ट रहे हैं। उनके अनुसार ही न्याय-व्यवस्था चलती रही। इनमें वर्णित भेदभाव पूर्ण व्यवस्थाओं को नीचे दर्शाया गया है :-

"ब्राह्मण अवध्य हैं, इसीलिए उसके केश मुड़वा दें और अन्य वर्ण वालों को प्राण दंड दें।"

(मनुस्मृति, 8-379)

"ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड होता है तथा अन्य वर्णों का (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का प्राण-दंड प्राण नाश करना होता है।"

(मनुस्मृति, 8-369)

"किसी प्रकार का भी पाप करने पर ब्राह्मण को कभी न मारें और सम्पूर्ण धन तथा अभग्न शरीर सहित देश से निकाल दें।"

(मनुस्मृति, 8-380)

"ब्राह्मण के वध से अधिक अन्य कोई पाप संसार में नहीं है। इसलिए राजा उसको मारने का विचार न करे।"

(मनुस्मृति, 8-382)

"वैसे ही ब्राह्मण चाहे मूर्ख या विद्वान हो, वह महान देवता होता है। वेद विधि से प्रतिष्ठित हो या न हो, जैसे अग्नि महान देव है।"

(मनुस्मृति, 9-317)

'इस प्रकार ब्राह्मण यदि बुरा कार्य भी करे तो भी पूजनीय है। क्योंकि वह भू-मंडल में परम् देवता है।"

(मनुस्मृति, 9-319)

"ब्राह्मण दुष्चरित्र भी हो तो भी पूज्यनीय है। शूद्र जितेन्द्रिय होकर नहीं। क्योंकि ऐसा कौन होगा जो दुष्ट गाय को छोड़कर सुशील गधी को दुहेगा।"

(पाराशर स्मृति 8-33)

"राजा ब्राह्मण को छोड़कर सबका शासक है।"

(गौतम धर्म सूत्र 8-15-11-59)

"ब्राह्मण को तृण से ताड़ना करने, उसके कंठ में वस्त्र डालने अथवा विवाद में उसे जीत लेने पर भी प्रणाम द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण को वध की धमकी देने पर सौ वर्ष पर्यन्त तथा दण्ड प्रहार से हजार वर्ष पर्यन्त नरक में रहना होता है। धरती पर गिरा हुआ ब्राह्मण का रक्त धूलि में जितने कणों को गिराता है उतने हजार वर्षों तक वह रक्त गिराने वाले नरक में वास करता है।"

(मनुस्मृतिष 11-205-207)

"यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो सौ कर्षपण दंड दे। यदि ब्राह्मण को मारे, तो इससे दुगुना दंड दे। यदि वैश्य ब्राह्मण को गाली दे तो क्षत्रिय से डेढ़ गुना दंड दे। परन्तु यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो केवल पचास कर्षपण दण्ड दे। यदि वैश्य को गाली दे तो उसका आधा दंड दे और शूद्र को गाली देने का कोई दंड नहीं है।"

(गौतम धर्म सूत्र 12-8-13)

स्मृतिकारों ने विधान किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को पैत्रिक संपत्ति के क्रमशः चार, तीन, दो और एक भाग देना चाहिए। (मनु.- 8/153) तथा याज्ञवल्क 2/125) शूद्र जिस किसी अंग से द्विज जाति को मारे, राजा उसी अंग को कटवा डाले। यह मनु का आदेश है।

(मनुस्मृति 8-279)

शिवाजी जिसने अपनी पूरी जवानी घोड़े पर बिताई। अपने पौरुष व बाहुबल से पश्चिमी महाराष्ट्र में हिन्दू राज्य स्थापित किया। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उस शिवाजी का राजतिलक करने से इन्कार कर दिया क्योंकि शिवाजी शूद्र (कुन्वी) जाति के थे। पुराणों और स्मृतियों के अनुसार शूद्र को राज्याभिषेक, उपनयन व यज्ञ निषिद्ध है। शिवाजी की इच्छा वैदिक रीति से राज्याभिषेक कराने की थी। जब ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इंकार कर दिया तो उन्होंने काशी से कागा भट्ट को भारी मात्रा में धन का लालच देकर राजतिलक कराया, क्योंकि इसके बिना उन्हें राजा माना जाना संभव नहीं था।

(फ) शूद्रों को दण्ड विधान :–

पुरानी स्मृतियों तथा पुराणों व धर्म की अन्य पुस्तकों ने शूद्रों के लिए पृथक दंड की

व्यवस्थायें की जो निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :–

"बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मेढ़क, कुत्ता, गधा, उल्लू और कौवा मार डालने पर जितना पाप होता है उतना ही शूद्र को मार डालने पर होता है।"

(मनुस्मृति 11-131)

"शूद्र यदि जप-तप व होम आदि शुभ कर्म करे तो राजा उस राज्य नाशक शूद्र को कठोर दंड दे।"

(अग्नि स्मृति- 191)

"शूद्र यदि वेद को सुन पावे तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख भरवा देनी चाहिए। यदि वेद का उच्चारण करे तो उसकी जिव्हा (जीभ) कटवा देनी चाहिए। यदि वेद का स्मरण करे तो उसको मरवा डालना चाहिए।"

(गौतम धर्मसूत्र- 12-4)

इसी तरह की दंड व्यवस्था अन्य धर्म ग्रन्थों में की भी गई है–

"शूद्र यदि वेद को सुने तो उसके कानों में गर्म शीशा डालना चाहिए, अगर जिव्हा से उच्चारण करे तो जीभ कटवा देनी चाहिए। पढ़ लिखकर विद्वान बन जावे तो उसे फांसी की सजा देनी चाहिए या सिर काट डालना चाहिए।"

(शंकराचार्य का बह्मम सूत्र अध्याय- 1 पाठ 3
अधिकरण 9- सूत्र 38)

"शूद्र यदि द्विजाति को लगने वाली बात कहे तो उसकी जीभ काट डाली जाय क्योंकि वह जघन्य स्थान से नीच से उत्पन्न हुआ है। शूद्र यदि द्रोह से द्विजातियों का नाम और जाति का नाम लेकर गाली दे तो उसके मुंह में दस अंगुल की धधकती लौह शलाका डालना चाहिए। यदि शूद्र अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में गरम तेल डलवा दे।"

(मनुस्मृति 8-270-272)

"यदि शूद्र उच्च जातियों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करे तो राजा उसकी कमर दाग कर देश से निकाल दे अथवा उसके चूतड़ कटवा दे।"

(मनुस्मृति- 8-281)

"शूद्र स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले द्विज पुरुष को देश से निकाल दिया जाय। पर जो शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्यभिचार करे तो उसे प्राण दंड दिया जाय।"

(अपस्तम्ब धर्म सूत्र प्रश्न-2
पटल 10 खण्ड- 27 सूत्र 8-9)

(ज) आर्थिक शोषण

कहा गया है कि भेदभाव पूर्ण जाति तथा वर्ण व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि शूद्र वर्ग निर्धन, अशिक्षित बनकर पशुवत जीवन जीता रहा आयोग यहां उसके लिए आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाल रहे हैं–

"ब्राह्मण को चाहिए कि निर्भय होकर शूद्र का द्रव्य लेवे क्योंकि शूद्र का अपना कुछ नहीं, उसका धन उसके स्वामी (ब्राह्मण का ही) है।"

(मनुस्मृति 8-417)

"यदि यज्ञ के दो या तीन अंग अपूर्ण रह जाये तो इनकी सिद्धि के लिए धार्मिक शूद्र का धन बल पूर्वक चोरी से ले आवे क्योंकि शूद्र यज्ञ से असंबंधित रहता है।"

(मनुस्मृति- 11-13)

"धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन का संचय कदापि न करना चाहिए क्योंकि धन प्राप्त करके वह ब्राह्मणों को सताने वाला होता है।"

(मनुस्मृति-10-129)

वर्ण व्यवस्था हमेशा से वर्ण स्वार्थ को पूरा करने और शोषण व्यवस्था को लगातार बनाये रखने का साधन रहा है तथा इसके बनाने वालों ने बड़ी कुटिलता से इसे पिरामिड की तरह सीढ़ीनुमा रूप दिया और अपने को सबसे सुरक्षित तथा श्रेष्ठ स्थान पर रखा है देखिए–

"जो अपने संचित अन्न के ढेर से ब्राह्मणों को दान नहीं करता वह चोर और पापी है। उसे ब्राह्मण हत्या करने वाले के समान समझना चाहिए।"

(पाराशर स्मृति 2/16)

"संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मणों का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न तथा कुलीन होने के कारण वह सब धन का अधिकारी होता है।"

(मनुस्मृति 1/100)

जाति के अनुसार ब्याज दर भी शूद्र वर्ग पर सबसे अधिक था–

"ब्राह्मण से दो रुपया सैकड़ा, क्षत्रिय से तीन रुपया सैकड़ा, वैश्य से चार रुपया सैकड़ा तथा शूद्र से पाँच रुपया सैकड़ा ब्याज लेना चाहिए।"

(मनुस्मृति- 8-142)

शूद्र निर्धन बना रहे, वह धन कमाने की सामर्थ्य रखते हुए भी धन कमा कर धनवान न बन पावे। यदि इसके विरुद्ध वह धन कमाकर धनी हो जाये तो राजा उसका धन ही न छीन ले बल्कि उसको भी देश निकाला दिलवा दे।

वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत ने 80 प्रतिशत बहुजन शूद्र वर्ण को अधिकार विहीन बनाकर हजारों वर्षों से उनका शोषण किया है और उक्त व्यवस्था को भगवान की व्यवस्था, पुनर्जन्म का सिद्धांत, भाग्यवाद आदि के कारण शूद्र को इतना पंगु बना दिया है कि वह अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात सोच भी न सके। इसलिए वे पशुवत शारीरिक श्रम करके भी दयनीय स्थिति के खिलाफ विद्रोह न कर सके। इसके स्थान पर वे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को कोसते रहे, भाग्य में जो लिखा है भोगना है की बात को धारण किए रहे।

"जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिये" वाली सूक्ति को मानकर सदियों से चलते रहे।

यद्यपि हर काल में इस भेदभाव मूलक जाति- व्यवस्था का विरोध हुआ है। सबसे पहले आचार्य चार्बाक ने इसका विरोध किया। महामानव गौतम बुद्ध ने इसके विरुद्ध असरकारक अभियान चलाया। संत, कबीर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। गुरू नानक देव ने इस जातिवादी व्यवस्था से दुखी होकर अपना अलग पंथ चलाया जिसे सिख धर्म भी कहते हैं। स्वामी विवेकानन्द, महात्मा ज्योतिवा फुले आदि ने इसकी कट्टरता पर प्रहार किये। लेकिन जाति प्रथा के बारे में बिल्ली के नौ जीवन वाली कहानी चरितार्थ है जो अनेकों विरोध को झेलते हुए आज तक जीवित बनी हुई है।

यद्यपि अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून, जन शिक्षा व आधुनिक विचारधारा का प्रसार, रेल, समाचार-पत्र आदि का प्रचलन एवं होटल व आधुनिक समय में औद्योगीकरण व शहरीकरण आदि के कारण जाति बंधन के हिसाब से भेदभाव कुछ हद तक कम हो गये हैं। देश की स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सैनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, तथा सरदार पटेल आदि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सभी वर्गों एवं जातियों की

भागीदारी व राष्ट्रीयता की भावना से जातिवाद की प्रखरता में काफी कमी आई। महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये अछूतोद्धार के कार्यक्रम व डॉ. अम्बेडकर द्वारा उनके अधिकारों की लड़ी गई लड़ाई ने छोटी जातियों में जागृति पैदा की तथा इस संबंध में छुआछूत मिटाने व भेदभाव समाप्त करने हेतु आवश्यक कानून भी बनाये गये हैं।

स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार पद्धति ने जाति प्रथा को सबसे जबरदस्त चुनौती दी है। वयस्क मताधिकार पर आधारित राजनैतिक प्रणाली में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है और वर्तमान राजनीति के कारण निम्न जातियों के लोग उच्च व सम्मानजनक स्थान पाने लगे हैं जिसे कि वे धार्मिक व सामाजिक माध्यमों के जरिये प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतः अब उच्च तथा निम्न जातियों के मध्य समानता में कुछ समायोजन हुआ है। परन्तु जातिवाद दूसरे रूप में उभरा है।

तात्पर्य यह है कि इस भेदभाव-पूर्ण वर्ण जाति व्यवस्था को हजारों वर्षों की यात्रा से निम्न समझी जाने वाली पिछड़े वर्ग की जातियां न केवल निम्न या छोटी जाति की समझी गई, बल्कि वे शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से भी पिछड़ी बनी रहीं।